



590/1

दस्तावेज- 2286709
2286710

नव योजना केंद्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-200001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 1488 / 05/76/एक/2015-16
सेवा में,

दिनांक : 22 मार्च 2016

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-शामली।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,
अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
इलाहाबाद बैंक	50084784336	IFSC Code ALLA0211937	279.259

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन बजट	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	शामली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 कांधला	मोहल्ला मोलानान कांधला में वारुद फेक्ट्री से अफजल मेग्मवर के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	4.456
2	शामली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 कैराना	पीरजादगान में एजाज पीर जी के प्लॉट से नवाब तालाब तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	9.909
3	शामली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 कैराना	पीरजादगान में अब्दुल कादिर की दुकान से नवाब तालाब तक, तालाब वाली मस्जिद से निरार के मकान तक, पीर जी के मकान (तालाब के दक्षिण साइड के कोने) से भीर हसन के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	28.922
4	शामली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 कैराना	खेलगला में गफूर के मकान से जुम्न के मकान तक, मास्टर नासिर के मकान से सलीम अहमद के मकान तक, ताहिरा के मकान से जाहिद हसन के मकान तक, लियाकत के मकान से पानीपत वाले के मकान तक, मरगूब के मकान से बिल्ले के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	11.667
5	शामली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 कैराना	खेलगला में मस्जिद से मोहसिन के मकान तक, शकील के मकान से मदरसे तक, शमशाद के मकान से इरफान के मकान तक एवं महगूद के मकान से शेरदीन के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	8.228
6	शामली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 कैराना	वार्ड न0 41 खेलगला में राशिद के मकान से निजाम मुल्ला के मकान तक, नफीस वाली गली में, अनवार वाली गली में, अहसान वाली गली में इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	5.369
7	शामली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 कैराना	वार्ड न0 09 छडीयान में हाजी मुस्तुफा के मकान से अरागर के मकान तक, इलयारा के मकान से अख्तर के मकान तक, मुस्तुफा टेली के मकान तक, इरलाग के मकान से लियाकत के मकान तक, कब्रिस्तान से हाजी जमशेद के मकान तक एवं मरगूब आलम के मकान से जाहिद के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	18.257



590/2

दस्तावेज 2286709
2286710

नगर वेतना केंद्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किस्त की धनराशि का प्रेषण
8	शामली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०५० जलालाबाद	मोहल्ला नानू में बालो खां के टॉवर से नाले तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	8,308
9	शामली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०५०/५० कैराना	मोहल्ला अफगानान पार्ट ए में नाले की पुलिया से राजू सेटारिंग वाले की दुकान तक, राजू सेटारिंग वाले की दुकान से अलीमुद्दीन के मकान तक, नाले के पुल से पठानों के कब्रिस्तान तक, कब्रिस्तान से अलीमुद्दीन के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	18,008
10	शामली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०५०/५० कैराना	मोहल्ला अफगानान पार्ट बी में कब्रिस्तान के गेट से नानू के प्लाट तक, नानू के प्लाट से आसिम के क्लीनिक तक, कब्रिस्तान के गेट से पलटू सैनी के मकान तक, पलटू सैनी के मकान से आसिम के क्लीनिक तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	24,863
11	शामली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०५०/५० कैराना	मोहल्ला पीरजादगान में पीर साहब की रतान से पानीपत रोड के आखीर में जमील अहमद की दुकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	7,319
12	शामली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०५०/५० कैराना	मोहल्ला पीरजादगान वार्ड न० 14 में नगर पालिका की ट्यूबवेल से नवाब तालाब के दक्षिणी कोने तक, नगर पालिका की ट्यूबवेल से कब्रिस्तान के कोने तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	30,924
13	शामली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०५० वनत	नगर पंचायत वनत पार्ट ए में शरीफ के मकान से पुराने डाकखाने तक, सैयदों की मरिजद से छोटे के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	19,958
14	शामली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०५० वनत	नगर पंचायत वनत पार्ट ए में पी.डब्ल्यू.डी. रोड से धारसीन बड़ई के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	15,394
15	शामली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०५० थानाभवन	मोहल्ला करतवान में नगर पंचायत के सामने से वर्मा के मकान तक, साजिद के मकान से दिल्ली सहारनपुर रोड तक, सुशील के मकान से मदरसे तक, इल्यास के मकान से महफूज के प्लाट तक, दिलसाद के मकान से फरयाद के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	21,496
16	शामली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०५० थानाभवन	हॉस्पिटल कालोनी में दिल्ली-सहारनपुर रोड से मेम्बर के ऑफिस तक, मदरसे से यामीन के घर तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	13,488
17	शामली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०५० थानाभवन	वार्ड न० 15 में अमरुदों वाली मरिजद से सर्गौर तेली के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	10,025
18	शामली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०५० थानाभवन	वार्ड मुल्लापुर घाट में दिल्ली-सहारनपुर रोड से मुल्लापुर घाट तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	22,668
	योग				279,259

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मलिन वस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मलिन वस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु रवीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दश में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जाये उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।



590/3

दूरभाष 2286709
2286710

नव चेतना केंद्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर राक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुरितका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में रामुचित-रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमश: इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में शुगतान के पूर्व यथानियम केंद्र, राज्य व स्थानीय करों की रत्रोत पर कटीती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि एवं द्वितीय किश्त में 10 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,


(आनिल प्रकाश सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।


(आनिल प्रकाश सिंह)
वित्त नियन्त्रक